FAX

संख्या– 1प्रा0आ0(2)–03/2010/ 3601 /आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरूद्ध कुमार,
विशेष सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
जहानाबाद।

पटना–15, दिनांक– 30/9/14

विषयः– प्राकृतिक आपदा से मृत पशु के अनुदान हेतु सक्षम स्वीकृति पदाधिकारी के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–1176 दिनांक–26.08.2014, द्वारा निदेश मॉगा गया है कि प्राकृतिक आपदा से मृत पशु के अनुदान की स्वीकृति एवं भुगतान के संबंध में स्वीकृति पदाधिकारी तथा क्षति आंकलन हेतु विनिर्दिष्ट सक्षम पदाधिकारी कौन होंगे ? उल्लेखनीय है कि "आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005" के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी, संबंधित जिला के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष भी हैं एवं Incident Commonder भी हैं, जिला पदाधिकारी को प्राकृतिक आपदा तथा गैर प्राकृतिक आपदा दोनों के मामले में सक्षम पदाधिकारी माना गया है।

अतएव प्राकृतिक आपदा/गैर प्राकृतिक आपदा के मामलों में क्षति आंकलन हेतु विनिर्दिष्ट सक्षम पदाधिकारी एवं अनुदान स्वीकृति हेतु सक्षम पदाधिकारी का निर्णय जिला दण्डाधिकारी को ही करना है। जिला दण्डाधिकारी उक्त कार्यों के लिए अपने अधीनस्थों के बीच Power Delegate कर सकते हैं।

उपरोक्त के आलोक में अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

30/9/14

(अनिरूद्ध कुमार)
विशेष सचिव

ज्ञापांक– 3601 /आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 30/9/14

प्रतिलिपि– सभी जिला पदाधिकारी (जहानाबाद को छोड़कर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/9/14
विशेष सचिव

D:\2014\yojna 2014\letter 26-9-2014 sep. sec. sir.docx